F. No. 47-1/2016-FC Government of India Ministry of Minority Affairs Coaching Division

Inviting Applications under "Nai Udaan" 2016-17

Ministry of Minority Affairs invites **online application** for 2016-17 under "Nai Udaan" scheme for financial assistance from candidates belonging to notified Minority Communities i.e. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis.

- 2. The assistance would be provided to candidates who have cleared Preliminary examination conducted by Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC) & State Public Service Commissions (SPSCs). The financial assistance will be provided in accordance with the slots provided to each community and on first-cum-first serve basis.
- 3. The candidates are requested to apply on www.naiudaan-moma.gov.in. No hard copies of applications would be accepted.
- 4. The details of the Scheme, How to apply and information on required documents are available on the website of Ministry i.e. www.minorityaffairs.gov.in and Nai Udaan Portal i.e. www.maiudaan-moma.gov.in. The candidates who have already applied offline are also requested to apply online.

Under Secretary (FC)



F.No. 47-1/2016-FC Government of India Ministry of Minority Affairs Coaching Division

Ministry of Minority Affairs invites online application for financial assistance from candidates belonging to notified minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis who have cleared Preliminary examination conducted by Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC) & State Public Service Commissions (PSCs) etc. during the year 2016-17 for requirement to Civil Services Group 'A' & 'B' posts, and preparing for Main Examination.

- 2. The financial assistance is for the purpose of adequately equipping candidates to compete for appointment to Civil Services in the Union and the State Governments and to increase the representation of the minorities in the Civil Services. The financial assistance will be provided in accordance with the slots provided to each community and on first-cum-first serve basis.
- 3. Eligibility Criteria:-
 - (i) The candidate should belong to one of the Minority Communities i.e. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis notified under Section 2(C) of National Commission for Minorities Act, 1992
 - (ii) The total annual income of family from all sources should not exceed to Rs. 4.50 Lakh.
 - (iii) Candidates should have passed the Prelims Examination conducted by UPSC; State PSC or SSC etc.
 - (iv) The candidates whose results declared after 01.03.2016 are eligible for financial assistance during 2016-17.
- 4. The rate of Financial Assistance will be Rs. 50,000/- for Gazetted post and Rs. 25,000/- for Non-Gazetted post. This is one time award and those candidates who have availed this benefit in the past are not eligible. One Application Form from one Candidate will be accepted. In case of receipt of multiple applications from one candidate against passing of Prelims exam conducted by UPSC, SSC etc., his all applications will be rejected without notice.
- 5. Candidates are required to apply through On-line mode only. Only online applications are allowed. The details of the Scheme, How to apply and required documents are available on the website of Ministry i.e. www.minorityaffairs.gov.in and Nai Udaan i.e. www.naiudaan-moma.gov.in. Manual/paper applications will not be entertained. Applications sent through other modes will not be accepted/entertained and no further intimation will be sent in this regard.
- 6. The applicants should apply online along with all essential documents as mentioned therein, within 30 days from the date of announcement of result of Preliminary Exam.

P8

Important instructions to the Candidates:-

General Instructions:

The financial benefit will be given to the candidate only once and for one examination only i.e. if a candidate qualifies prelims exam of Civil Service conducted by UPSC and simultaneously qualifies Combined Graduate Level Prelims Exam conducted by SSC, the financial benefit will be given for only one exam.

Before starting to fill up the on-line application, the candidate should keep at hand the following details/documents:-

- ➤ His/her personal details including valid email ID.
- His/her scanned photo and scanned signature.
- His/her Self Declaration of belonging to Minority Community or Minority Community certificate i.e. Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain and Parsi. As per Format I under Forms & Guidelines on website.
- > His/her Self Declaration of Annual Income of the family from all sources as per **Format II** under Forms & Guidelines on website.
- ➤ His/her scanned documents for identity i.e. Aadhar Card., PAN Card, Driving License, Voter I.Card, Passport, Ration Card, BPL Card.
- ➤ His/her scanned copy of a cancelled Cheque of Bank Account of the student to verify the Account Number and Banks IFSC Code.
- ➤ His/her scanned copy of an affidavit on Non-Judicial Paper of Rs. 5/- duly notarized to the effect that he/she is not availing/not availed financial assistance from any other source.
- His/her scanned copy of Admit Card of the particular exam
- His/her scanned copy of Roll number slip with copy of result page in which the Roll No. is reflected.

How to apply:

Candidates are required to apply through On-line mode only. Only online applications are allowed. Manual/paper applications will not be entertained. Applications sent through other modes will not be accepted/entertained and no further intimation will be sent in this regard.

- Candidates should have a valid personal e-mail ID. It should be kept active during the entire process. Registration number, password, and all other important communication will be sent on the same registered e-mail ID (please ensure that email sent to this mailbox is not redirected to your junk / spam folder). The candidates are requested to check regularly their e-mail for any communication from Ministry. The candidate should not share e-mail ID or password with any other person.
- Candidates should take utmost care to furnish the correct details while filling in the online application. Any mistake committed by the candidate shall be his/her sole responsibility.
- The candidates should ensure the completion of registration process by the stipulated date and time given in the Detailed Notification.
- First, the candidate has to register with valid Email ID and fill up all the desired information i.e. Personal Details, uploading of Photograph, Signature, and necessary documents, then click on 'Save' button a message will be generated for successful registration. After registration system will generate registration number, ID and Password and send to candidate registered Email ID.
- After registration, the candidate should login with ID and password and fill up all the desired information related to his/her Prelims exam and upload necessary documents. Then click on 'Submit' button. A message will be generated for successful applied.
- You may also take the print out of your application for your record.

Check Box:-

□ I agree that I have not availed the benefit of this scheme in past for clearing
UPSC/SSC/State PSC and any other exam.
□ I declare that my annual family income from all sources does not exceed from Rs. 4.50 lakh.
□ I belong to one of the Minority Communities notified under Section 2 (C) of National
Commission for Minorities Act, 1992.
\square If found any wrong declaration by me, the financial assistance awarded to me may be
recovered with penal interest and legal action in accordance with Law may be initiated, I
authorize Ministry of Minority Affairs to cancel my application without any intimation.

Note:-

Please note that above information will be used during the entire applying process, no changes/modifications will be entertain under any circumstances. Please be careful while filling up the application.

फा. सं. 47—1 / 2016—एफसी भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कोचिंग प्रभाग

"नई उड़ान" 2016-17 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैनों तथा पारिसयों से संबंधित अभ्यर्थियों से नई उड़ान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए 2016—17 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है।

- 2. यह सहायता उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। वित्तीय सहायता प्रत्येक समुदाय को प्रदत्त स्लॉट के अनुसार और पहले आओ पहले पाओ—आधार पर प्रदान की जाएगी।
- 3. अभ्यर्थियों से <u>www.naiudaan-moma.gov.in</u> पर आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। आवेदन पत्रों की हार्ड प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- 4. योजना के ब्यौरे, आवेदन का तरीका तथा अपेक्षित दस्तावेजों संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् <u>www.minorityaffairs.gov.in</u> तथा नई उड़ान की वेबसाइट अर्थात् <u>www.naiudaan-moma.gov.in</u> पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही ऑफलाइन आवेदन कर दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऑनलाइन भी आवेदन करें।

अवर सचिव (निशुल्क कोचिंग)

4819 21N

फा. सं. 47—1 / 2016—एफसी भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कोचिंग प्रभाग

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैनों तथा पारिसयों से संबंधित अभ्यर्थियों, जिन्होंने सिविल सेवाओं के ग्रुप 'ए' तथा 'बी' पदों की अपेक्षा के लिए वर्ष 2016—17 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहें हैं, से वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

2. यह वित्तीय सहायता संघ एवं राज्य सरकारों के सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए तथा सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ हैं। वित्तीय सहायता प्रत्येक समुदाय को प्रदत्त स्लॉट के अनुसार और पहले आओ पहले पाओ—आधार पर प्रदान की जाएगी।

3. पात्रता मापदंड:-

(i) अभ्यर्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैनों तथा पारसियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से कुल परिवारिक आय, प्रति वर्ष 4.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा यूपीएससी, राज्य पीएससी अथवा एसएससी आदि द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए।

(iv) जिन अभ्यर्थियों के परिणाम 01.03.2016 के बाद घोषित किए गए हैं, वे 2016–17 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

- 4. आर्थिक सहायता की दर अधिकतम पचास हजार रुपए 50,000 रु. राजपत्रित पद के लिए; तथा 25,000 रु. अराजपत्रित पद के लिए होगी। यह एक बार दी जाएगी और वे अभ्यर्थी जो विगत में यह लाभ ले चुके हैं, पात्र नहीं है। एक अभ्यर्थी के लिए एक आवेदन फार्म स्वीकार किया जाएगा। यूपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अभ्यर्थी से अनेक आवेदन प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन बिना सूचना के अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- 5. अभ्यर्थियों के लिए केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही आवेदन करना अपेक्षित होगा। केवल ऑनलाइन आवेदनों की ही अनुमित हैं। योजना के ब्यौरे, आवेदन का तरीका तथा अपेक्षित दस्तावेजों संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in तथा नई उड़ान की वेबसाइट अर्थात् www.naiudaan-moma.gov.in पर उपलब्ध है। दस्ती/कागजी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे/विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई और सूचना नहीं भेजी जाएगी।
- 6. आवेदकों को सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ उनमें उल्लिखित अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-सामान्य अनुदेशः

> अभ्यर्थी को वित्तीय लाभ केवल एक बार और एक परीक्षा के लिए दिया जाएगा अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और साथ ही साथ एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो वित्तीय लाभ केवल एक परीक्षा के लिए दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने के पूर्व, अभ्यर्थी को निम्नलिखित ब्यौरे/दस्तावेज साथ में तैयार रखना चाहिए:-

- > वैध ईमेल आईडी सहित अपने व्यक्तिगत ब्यौरे
- > अपना स्कैन किया हुआ फोटो और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
- 🕨 अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित स्व—घोषणा अथवा अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण—पत्र अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसी। वेबसाइट पर फार्मी और दिशा–निर्देशों के अधीन फार्मेट I के अनुसार।
- फार्मों और दिशा—निर्देशों के अधीन फार्मेट II के अनुसार सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का उसकी स्व-घोषणा।
- > पहचान के लिए उसके स्कैन किए हुए दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड।
- > खाता संख्या और बैंक आईएफएससी कोड के सत्यापन के लिए विद्यार्थी के बैंक खाते के रद्द किए गए चैक की स्कैन प्रति।
- पांच रु. के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर इस आशय के शपथ-पत्र की स्कैन की हुई प्रति कि वह किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं ले रहा है/नहीं ली है। शपथ-पत्र विधिवत रूप से नोटरीकृत होना चाहिए।
- > उसकी परीक्षा विशेष के प्रवेश कार्ड की स्कैन की हुई प्रति।
- > रोल नंबर स्लिप की स्कैन की हुई प्रति, साथ में परिणाम पृष्ठ की प्रति जिसमें रोल नंबर दर्शाया गया हो।

कैसे आवेदन करें:

> अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना अपेक्षित है। केवल ऑनलाइन आवेदनों की अनुमित है। मैन्यूअल / पेपर आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा / कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में आगे कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

🕨 अभ्यर्थियों की एक वैध निजी ई—मेल आईडी होनी चाहिए। इसे पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना चाहिए। पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और अन्य महत्वपूर्ण संप्रेषण इसी पंजीकृत ई—मेल आईडी पर भेजा जाएगा (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेलबाक्स को भेजी गई ई-मेल आपके जंक / स्पैम

फोल्डर में रीडायरेक्ट न हो जाए)। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे मंत्रालय से भेजे गए किसी संप्रेषण के लिए अपने ई—मेल को नियमित रूप से देखते रहें। अभ्यर्थी को अपना ई—मेल आईडी अथवा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण देने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए केवल वही जिम्मेदार होगा।

> अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण प्रक्रिया विस्तृत अधिसूचना में निर्धारित तारीख

और समय तक पूरी हो जाए।

▶ पहले अभ्यर्थी को अपना वैध ई—मेल आईडी रिजस्टर करना है और सभी वांछित सूचना भरनी है, जैसे व्यक्तिगत ब्यौरे, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना और फिर 'सेव' बटन पर क्लिक करना है, सफल रिजस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज उत्पन्न हो जाएगा। रिजस्ट्रेशन के पश्चात, सिस्टम रिजस्ट्रेशन नंबर, आईडी और पासवर्ड तैयार कर देगा और अभ्यर्थी की पंजीकृत ई—मेल आईडी पर भेज देगा।

रिजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना चाहिए और उसे अपनी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सभी वांछित सूचना भरनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना चाहिए। इसके बाद 'सबिमट' बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने पर एक मैसेज

आएगा ।

> आप अपने रिकार्ड के लिए अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

चेक बॉक्स

में सहमत हूं कि मैंने यूपीएससी / एसएससी / राज्य पीएससी और किसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने
के जिस विस्तृत में दूस योजना का लाभ नहीं उठाया है।
में घोषणा करता हूं कि सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक परिवारिक आय 4.50 लाख रु. से अधिक नहीं
है।
में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक
कार्या में से एक से संबंध रखता है।
यदि मेरे द्वारा की गई कोई घोषणा गलत पाई जाती है, तो मुझे प्रदान की गई वित्तीय सहायता
कार्य के गण कार्यी जाए और कानन के अनुसार कानुना कारपाई अर्प कार्य
बिना कोई सूचना दिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अपने आवेदन रदद करने के लिए प्राधिकृत
करता हूं।

नोट:-

कृपया नोट करें कि उपर्युक्त सूचना समस्त आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त की जाएगी, किसी परिस्थिति के अंतर्गत किन्हीं परिवर्तनों / संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया आवदेन भरते समय सतर्क रहें।